राजस्व आवेदन संख्या 191/2023
उनवान उमाराम वगैरा बनाम डूंगरराम वगैरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 191/2023
अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थी
1. उमाराम पुत्र सोनाराम 2. केसाराम पुत्र सोनाराम 3. चोखाराम पुत्र सोनाराम 4. निम्बाराम पुत्र सोनाराम जातियान– मेगवाल, निवासीगण तुरपानाडी, शोभाला दर्शान, तहसील सेडवा, जिला बाडमेर।		1. डूंगराराम पुत्र हीराराम 2. दूदाराम पुत्र हीराराम 3. पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र मोहनलाल 4. बंशीलाल पुत्र चेनाराम 5. मंगली पत्नी चेनाराम 6. मेवाराम पुत्र मोहनलाल 7. केकूंदेवी पत्नी मोहनलाल 8. चिमू पत्नी हीराराम जातियान मेघवाल, निवासीगण तुरपानाडी शोभाला देर्शान, तहसील सेडवा, जिला बाडमेर। 9. राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीदार सेडवा।

उपस्थित :प्रार्थी वकील –श्री आम्बाराम पुनड

–: निर्णय :–

दिनांकः– 09.03.2026

प्रार्थीगण उमाराम पुत्र सोनाराम जाति मेघवाल, निवासी तुरपानाडी, शोभाला दर्शान तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर वगैरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1115/595 रकबा 3.2213 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1116/595 रकबा 3.2132 हैक्टेयर के आये हुए है, जिसका मूल खसरा नम्बर 595 था, उक्त मूल खसरे का विभाजन होकर अलग तरमीम की गई है। मूल खसरा नम्बर 595 में से प्रशासन गांवों के संग अभियान में तरमीम के वक्त मौके पर कब्जेकाश्त, ढाणी से भिन्न पटवारी हल्का, भू–निरीक्षक द्वारा मौका देखे बिना नक्शे मे गलत तरमीम कर दी, प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के कब्जे, ढाणी से भिन्न तरमीम की है। ऐसी सूरत में पटवारी हल्का द्वारा बिना विधिक प्रकिया अपनाए, मौके पर आये बिना [illegible] गलत तरमीम की गई है, नक्शे

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.30 21:22:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

में की गई तरमीम मौके से भिन्न स्थिति की गई है, जिससे बिना विधिक प्रकिया अपनाये की गई तरमीम कब्जे, बंट के विपरीत किया इन्द्राज अवैध व गैर कानूनी होने से मौके पर स्थित कब्जा, ढाणी, मांठ अनुसार तरमीम की जाकर नक्शा दुरुस्ती करवाने का प्रार्थीगण हकदार होने से नक्शा दुरुस्त का प्रार्थना पत्र पेश है। तरमीम के वक्त मौके पर कब्जे काश्त से भिन्न तरमीम अवैध रूप से लिपिकीय त्रुटि से किया गया है, जिससे उक्त लिपिकीय भूल को दुरुस्त करवाने का प्रार्थीगण कानूनी हकदार होने से यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण के राजस्व रेकर्ड में तरमीम गलत अंकन होने से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को अपने खेत को अधिक उपजाऊ बनाने, कृषि ऋण लेने, अपने खेत की नेखमबन्दी करवाने के लिए कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण मौके पर कब्जेकाश्त, ढाणी, मांठ अनुसार रेकर्ड दुरुस्ती करवाने के विधि सम्मत अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त नक्शा त्रुटि की जानकारी प्रार्थीगण को नहीं थी, अभी जानकारी होने से नकले इत्यादि लेने से जानकारी में आने से प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम– तुरपानाडी, पटवार हल्का– शोभाला दर्शान के खसरा नम्बर 1115/595 व 1116/595 का मौके पर स्थित कब्जा, ढाणी, मांठ अनुसार तरमीम की जाकर नक्शा दुरुस्ती करने का आदेश तहसीलदार सेडवा के नाम जारी फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस तलब किए। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से न्यायालय के आदेश क्रमांक/रीडर/2023/1638 दिनांक 26.10.2023 द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन के लिए लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ./2025/916 दिनांक 03.09.2025 द्वारा न्यायालय को तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन ग्राम तुरपानाडी के खसरा नम्बर 1115/595 रकबा 213 हैक्टेयर व खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.30 21:22:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

1116/595 रकबा 3.2132 हैक्टेयर जिसमें नवसृजित खसरा नम्बर 1599/1116 व 1115/595 है। उक्त खसरों की तरमीन इनके कब्जा काश्त अनुसार नहीं हैं। वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में भूमि का अंकन निम्नानुसार है– परिशिष्ट 'अ' (1) खसरा नम्बर 1599/1116 रकबा 3.0554 हैक्टेयर किस्म बा.सो. खातेदार (1) केकूदेवी पत्नी मोहनलाल (2) चिमू पत्नी हीराराम (3) डुंगराराम दुदाराम पि. हीराराम (5) मेवाराम पुष्पेन्द्रसिंह पि. मोहनलाल (7) बंशीलाल पुत्र चैनाराम (8) मंगली पत्नी चैनाराम सा.देह खातेदार, (2) खसरा नम्बर 1115/595 रकबा 3.2213 हैक्टेयर किस्म बा.सो. खातेदार उमाराम, चौखाराम, निम्बाराम, केसाराम पि. सोनाराम सा.देह खातेदार रहन चौखाराम का हि. **BLDB** शाखा बालोतरा में, उपर्युक्त खसरो के खातेदारों की भूमि की तरमीन कब्जा काश्त अनुसार नहीं होने पर आपसी सहमति से तरमीम दुरुस्ती करवाना चाहते हैं, उपर्युक्त खसरों में प्रस्तावित तरमीम इनके आपसी सहमति एवं कब्जा, काश्त रहवासी ढाणियां ट्यूबेल इत्यादि के आधार पर प्रस्तावित किया गया है, जिसे संलग्न नक्शे मे कब्जा को बरंग दर्शित किया गया है। वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार संशोधित ख.न. निम्न अनुसार है– परिशिष्ट 'ब' (1) खसरा नम्बर 1599/1116 रकबा 3.0554 हैक्टेयर किस्म बा.सो. खातेदार उमाराम, निम्बाराम केसाराम पि. सोनाराम चौखाराम पि. सोनाराम सा.देह खातेदार रहन चौखाराम का हि. **BLDB** शाखा बालोतरा में (2) खसरा नम्बर 1115/595 रकबा 3.2213 हैक्टेयर किस्म बा. सो. खातेदार (1) केंकू देवी पत्नी मोहन लाल (2) चिमू पत्नी हीराराम (3) डुंगराराम पि. हीराराम (4) दुदाराम पि. हीराराम (5) मेवाराम पि. मोहनलाल (6) पुष्पेन्द्रसिंह पि. मोहनलाल (7) बंशीलाल पुत्र चैनाराम (8) मंगली पत्नी चैनाराम सा. देह खातेदार । उपर्युक्त संशोधित रकबा परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। जिसे उपर्युक्त खातेदारों ने सहमति प्रदान की है, उक्तानुसार उक्त खसरों की तरमीम दुरुस्ती खातेदारों की आपसी सहमति, कब्जा काश्त अनुसार किया जाना उचित है। (संलग्न नक्शा मौका फर्द का अभिन्न अंग है) मौका फर्द मौके पर बनाई जाकर उपस्थित के हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान करवाए गए।''

प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस की। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया है। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.30 21:22:54 IST
Reason: SelfAttested

(3)

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

स्वस्थचित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 191/2023 उनवान उमाराम वगैरा बनाम डूंगराराम वगैरा अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों तथा तहसीलदार सेड़वा के प्राप्त तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन पर युक्तियुक्त विचारण के उपरांत जांच प्रतिवेदन में दर्शित नक्शे(परिशिष्ट 'ब') अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन (पत्रांकः भू.अ./2025/916 दिनांक 03.09.2025 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 01.07.2025, खसरा नक्शा व जमाबंदी अभिलेख आदि) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि वह तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2026 को खुले इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा सत्यमेव जयते

(4)

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.30 21:22:54 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा, जिला बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2023/1638

दिनांक :- 26/10/2023

प्रेषित :- तहसीलदार सेड़वा।

विषयः- राजस्व आवेदन सं. 191/2023 अनवान उमाराम वगैरा बनाम डुंगराराम वगैरा अन्तर्गत 131, 136 आर.एल.आर. एक्ट में तरमीम दुरस्ती हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत के सन्दर्भ में लेख है कि उपरोक्त अनवान के आवेदन में प्रार्थी के खातेदारी मौजा तुरपानाड़ी पटवार हल्का शोभाला दर्शान तहसील सेड़वा के खेत खसरा संख्या 1115/595 रकबा 3.2213 हैक्टर व खसरा संख्या 1116/595 रकबा 3.2132 हैक्टर, भूमि की लट्ठा ट्रेस में पूर्व में की गई गलत तरमीम दुरस्ती करवाये जाने का निवेदन किया है। इस संबंध में आपको कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। आप सम्पूर्ण जांच कर तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट साक्ष्य सबूत सहित आगामी तारीख से 16/11/23 से पूर्व न्यायालय में भिजवाये।

संलग्न -

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

नकल तैयार कर्ता के हस्ताक्षर
नकल मिलान कर्ता के हस्ताक्षर

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
सहायक कलक्टर
सेड़वा

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा
क्रमांक/भू.अ./2754 दिनांक 28/8/2024
पूल ही पटवारी हल्का DR-लोनरी को निर्देशानुसार ....हेतु प्रेषित है।
मौकाजांच कर रिपोर्ट

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.30 21:22:54 IST
Reason: SelfAttested

मौका फर्द

प्रार्थी कार्ड

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

आज दिनांक 01/07/2025 को श्रीमान तहसीलदार महोदय सेड़वा के आदेश क्रमांक / भू. अ./2754 / दिनांक 28/08/2024 एवं माननीय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी के राजस्व आवेदन सं. 19/2023 अनवान उमाराम वगैरा बनाम डूंगराराम वगैरा अन्तर्गत 131,136 RLR एक्ट मे तरमीन दुरुस्ती हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करने पटवारी हल्का शोभालादर्शान के साथ मौके पर पहुँचा। मौके पर उपस्थित खातेदारान एवं मोतबरान के रूबरू ग्राम तुरपानाड़ी के खसरा न. 1115/595, रकबा 3.2213 व 1116/595 रकबा 3.2132 हैक्टेयर भूमि का मौका देखा जिसकी बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

ग्राम तुरपानाडी के खसरा न. 1115/595 रकबा 3.2213 हे. व खसरा नम्बर 1116/595 रकबा 3.2132 हैक्ट. जिसमें नवसृजित ख.न. 1599/1116 व 1115/595 है उक्त खसरो की तरमीन इनके कब्जा काश्त अनुसार नहीं है।

वर्तमान मे राजस्व रेकर्ड मे भूमि का अंकन निम्नानुसार है / परिशिष्ट (अ)

① खसरा नम्बर 1599/1116 रकबा 3.0554 हैक्ट. किस्म बा.सो. खातेदार ① केकूदेवी पत्नी मोहनलाल ② चिमू पत्नी हीराराम ③ डूंगराराम, दुदाराम पि. हीराराम ⑤ मेवाराम पुष्पेन्द्रसिंह पि. मोहनलाल ⑦ बेशीलाल पुत्र चैनाराम ⑧ मंगली पत्नी चैनाराम सा. देह खातेदार,

② खसरा न. 1115/595 रकबा 3.2213 हैक्ट. बा.सो. खातेदार उमाराम, चौखाराम, निम्बाराम केसाराम पि. सोनाराम सा देह खातेदार रहन चौखाराम का हि. BLDB शाखा बालोतरा मे,

उपरोक्त खसरे के खातेदारो की भूमि की तरमीन कब्जा काश्त अनुसार नही होने पर आपसी सहमती से तरमीन दुरुस्ती करवाना चाहते है, उपरोक्त खसरो में प्रस्तावित तरमीम इनके आपसी सहमति एवं कब्जा - काश्त रहवासी ढाणियां ट्यूबेल इत्यादि के आधार पर प्रस्तावित किया गया है, जिसे संलग्न नक्शे मे कब्जा को बरंग दर्शित किया गया है।

वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार संशोधित ख.न. निम्न अनुसार है- परिशिष्ट (ब)

① खसरा नम्बर 1599/1116 रकबा 3.0554 हैक्ट किस्म बा.सो. खातेदार उमाराम, निम्बाराम केसाराम पि. सोनाराम चौखाराम पि. सोनाराम सा. देह खातेदार रहन चौखाराम का हि. चौखाराम का हि. BLDB बैंक शाखा बालोतरा मे

② खसरा नम्बर 1115/595 3.2213 हे. किस्म बा.सो. खातेदार ① केंकूदेवी पत्नी मोहनलाल ② चिमू पत्नी हीराराम ③ डूंगराराम पि. हीराराम ④ दुदाराम पि. हीराराम ⑤ मेवाराम पि. मोहनलाल ⑥ पुष्पेन्द्रसिंह पि. मोहनलाल ⑦ बेशीलाल पुत्र चैनाराम ⑧ मंगली पत्नी चैनाराम सा. देह खातेदार।

उपरोक्त संशोधित रकबा 'परिशिष्ट' 'ब' अनुसार है। जिसे उपरोक्त की खातेदारो ने सहमति प्रदान की है, उक्तानुसार उक्त खसरो की तरमीम दुरुस्ती खातेदारो की आपसी सहमति कब्जा काश्त अनुसार [illegible] दुरुस्ती किया जाना उचित है।

(संलग्न नक्शा मौका [illegible])

मौका फर्द मौके पर बनाई जाकर उपस्थित [illegible] हस्ताक्षर अ. नि. अंकित करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.30 21:22:54 IST
Reason: SelfAttested

नि. चैनाराम

एड. भाखारामजी चौखाराम मेवाराम

उमाराम

दुदाराम

केसाराम

नि. चिमुदेवी

निम्बाराम

पुष्पेन्द्रसिंह

मोहनलाल माजू.

पटवारी (भू.अ.) शोभाला दर्शान तहसील सेड़वा

ILR सालला

[illegible] (भू.अ.) सेड़वा

किशनवार
मौजा - भीलबस्ती

परिशिष्ट 'अ' वर्तमान तरमीम अनुसार

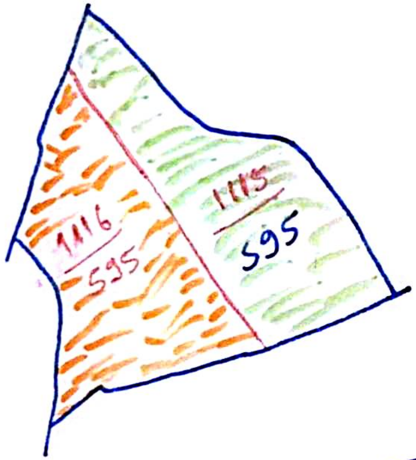

परिशिष्ट 'ब' कब्जा काश्त अनुसार प्रस्तावित तरमीम दुरुस्ती

प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

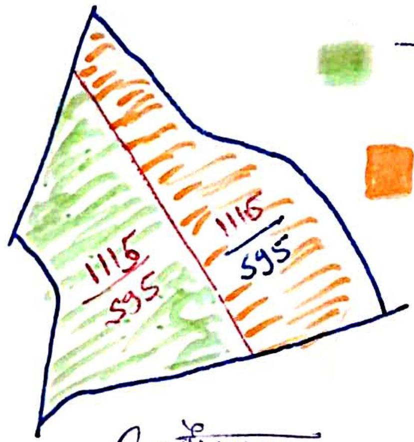

बरंग

खातेदार उमाराम, [illegible] वगै.

खातेदार केकू पत्नी [illegible] वगै.

उमाराम

ह. आत्माराम पुत्र स्व. चौखाराम

नि. चौखाराम

दूदाराम

केसाराम

नि. केकू देवी

नि. चिमु देवी

मेवाराम

पुष्पेन्द्रसिंह

6/08/025
(मांगीलाल माजू.)
पटवारी (भू.अ.) शोभाला दर्शान
तहसील सेड़वा

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.30 21:22:54 IST
Reason: SelfAttested